

डिग्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 ब्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी:- उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-361/2018

1. अरुण पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी।

-वादी

बनाम

1. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

-प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री जयनारायण शर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई तहसीलदार टिब्बी प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि:- वाद वादी अरुण स्वीकार किया जाता है कि चक नं. 8 जीजीआर के खाता संख्या 418/215 खाता लेखराम में प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर लेखराम पुत्र हेमराज के स्थान पर अरुण पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी टिब्बी के नाम की दुरुस्ती की जाती है। राजस्व अभिलेख में लेखराम के स्थान पर अरुण पुत्र हेमराज दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...22-1-19...अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...22/1/19...को जारी

किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी